न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 52/2018

नत्थूराम पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी 9 के डी (बी) तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजस्व रावला जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ
दिनांक 08.03.2018

उपस्थिति–

अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–18/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपतहसीलदार रावला ने प्रकरण सं. 63/2017 बअनवान सरकार बनाम नत्थूराम धारा 22 राज.उपनिवेशन अधि. 1954 निर्णय दिनांक 13.11.2017 से अपीलांट को चक 9 के.डी. के मु.नं. 132/33 में कुल 0.018है0 क0/अ0क0 रकबा राज गै0मु0 रास्ता पर नाजायज कब्जा करने का अतिकमी घोषित कर अपीलांट को बेदखल करने के आदेश दिये हैं।

(A) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट नत्थूराम ने न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की।

(B) अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2018 से अपीलांट की अपील खारिज की है।

(C) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र पेश किया है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट क अनुपस्थित रहने से विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(A) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। उपतहसीलदार ने अपीलांट के द्वारा गै0 मु0 रास्ता पर नाजायज कब्जा करने के कारा उसके विरूद्ध धारा 22 के तहत सही कार्यवाही की गई है। इसके अलावा अपीलांट ने इस न्यायालय में यह अपील लगभग तीन माह बाद पेश की है। अतःनिवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. हमने पत्रावली का एवं अधी. न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया।

(a) यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने चक 9 केडी के मु.नं. 132/33 कुल 0.018है0 अ0क0 का रकबा राज गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण कर फसल खरीफ काश्त की है।

(b) अधी.न्यायालय ने प्रथम अपील में अपीलांट की अपील निरस्त की है।

(c) अपीलांट द्वितीय अपील में वरवक्त बहस अनुपस्थित रहा, प्रतीत होता है न्याय प्राप्ति की मंशा नहीं है, बावजूद अतिक्रमी साबित होने पर भी द्वितीय अपील कर न्याय प्रकिया का दुरूपयोग करना स्पष्ट है।

(d) अपील प्रथम स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः राशि 5000/– रूपये की कोस्ट पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर